न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 932 / 2022

अनवान : –

1. डुंगरराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. सरस्वती 2. नानो 3. सज्जना पि. मोमनराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
4. महावीर 5. ओमप्रकाश 6. सन्तलाल 7. सरजीत 8. राजबाला पि. हरकोरी पत्नि मामराज जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
9. भंवरी देवी पत्नि सन्तलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
10. रूकमादेवी पत्नि प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के साबिका ख.न. 13 की 20 बीघा भूमि थी जिसके वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 4 ता 8 के माता के पिता रामु वल्द भूरा कौम जाट साकिन जोजासर खातेदार कातश्कार थे।

वाद भूमि रामु के फौतदगी के पश्चात मोमन पर औद हुई तथा मोमन की फौत होने के पश्चात उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 वाद भूमि के खातदार काश्तकार हुवे। वाद भूमि रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के साबिका ख.न. 13 की हाल ख.न. 46 व 51 में तब्दील व पैमुद कर दी गई। रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के साबिका ख.न. 13 से परिवर्तित व पैमुद हाल ख.न. 46 की 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि अर्थात 1.8080 हैक्टर भूमि वादी के पिता मोमनराम वल्द रामूराम के सही तौर से दर्ज कर दी परन्तु शेष वाद भूमि 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी के चिपते खेत के पूर्वी व उतरादा पासा ख. न. 51 जो साबिका ख.न. 13 मीन से परिवर्तित है में 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि गै. मु. दर्ज कर दी उक्त भूमि में परिवर्तन गत पैमईिश में भू– प्रबन्धक विभाग द्वारा की गई जबकि भू–प्रबन्धक विभाग केवल पूर्ववर्ती इन्द्राजात यथा उसे भूमि कम करने व उसको गैर मुमकिन दर्ज करने का कानूनी अधिकार नही था इसलिए वाद भूमि 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि अर्थात 3.252 हैक्टर भूमि गै.मु. से कलमजन करवाकर कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी सं. 4 ता 8 सयुक्ततः ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ने अपना हक व हिस्से की भूमि का वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया तथा वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है जो दस्तबरदारी दिनांक 03/01/2022 से स्पष्ट रोशन है। इसके अतिरिक्त 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि यानि 3252 हेक्टर भूमि जी गै.मु. कलमजन करने वादी के अकेले को खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1 ता तस्लीम करते रहे है, उकत भूमि में बाहमी तौर से राजीनामा के तहत वादी के पक्ष में हक व हिस्सा त्याग कर चुके है। इस प्रकार वादी वाद भूमि में 4.807 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है परन्तु वादी 0.1265 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 9 भंवरी को 1/2 हिस्सा, यानि 0.1265 हेक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 10 को 1/2 बीघा यानि 0.1265 हैक्टर भूमि बैय कर दी शेष 19 बीघा भूमि यानि 4.8070 हैक्टर भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है।

रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर खाता सं. 76/77 के ख.. 46 की 1. 8080 हैटकर भूमि वादी अकेला 1.555 हैक्टर में से प्रतिवादी सं. 9 का 0.1265 हैक्टर भूमि एवं प्रतिवादी सं. 10 का 0.1265 हैक्टर भूमि खातेदार काश्तकार है एवं राही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 की ख.न. 51 की 14.408 हैक्टर भूमि में से वादी अकेला 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि अर्थात 3.252 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वादी उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा गै0मु0 भूमि को मुमकिन कर वादी को खातेदार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे देवे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है तथा उक्ता रास्ता की मौके व रिकार्ड के अनुसार उपयोगिता है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि रामु के फौतदगी के पश्चात मोमन पर औद हुई तथा मोमन की फौत होने के पश्चात उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 वाद भूमि के खातदार काश्तकार हुवे। वाद भूमि रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के साबिका ख.न. 13 की हाल ख.न. 46 व 51 में तब्दील व पैमुद कर दी गई। रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के साबिका ख.न. 13 से परिवर्तित व पैमुद हाल ख.न. 46 की 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि अर्थात 1.8080 हैक्टर भूमि वादी के पिता मोमनराम वल्द रामूराम के सही तौर से दर्ज कर दी परन्तु शेष वाद भूमि 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी के चिपते खेत के पूर्वी व उतरादा पासा ख. न. 51 जो साबिका ख.न. 13 मीन से परिवर्तित है में 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि गै. मु. दर्ज कर दी उक्त भूमि में परिवर्तन गत पैमईिश में भू- प्रबन्धक विभाग द्वारा की गई जबकि भू-प्रबन्धक विभाग केवल पूर्ववर्ती इन्द्राजात यथा उसे भूमि कम करने व उसको गैर मुमकिन दर्ज करने का कानूनी अधिकार नही था इसलिए वाद भूमि 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि अर्थात 3.252 हैक्टर भूमि गै.मु. से कलमजन करवाकर

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी सं. 4 ता 8 सयुक्तत: ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ने अपना हक व हिस्से की भूमि का वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया तथा वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है जो दस्तबरदारी दिनांक 03/01/2022 से स्पष्ट रोशन है। इसके अतिरिक्त 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि यानि 3252 हेक्टर भूमि जी गै.मु. कलमजन करने वादी के अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी का वाद डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के खाता स0 रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के खाता स0 76/77 के ख0न0 46 की 1.8080 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 9 व 10 के नाम दर्ज करवाने एवं रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के खाता स0 1/1 के ख0न0 51 की 3.252 हैक्ट भूमि गै0मु0 से अपने नाम खातेदार दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 ता 8 द्वारा उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग किया गया है जबकि प्रतिवादी स0 6 ता 8 द्वारा हक त्याग बाबत कोई सहमति पेश नही की गई है एवं वादी द्वारा रोही मौजा उदासर बड़ा तहसील नोहर के खाता स0 1/1 के ख0न0 51 की 3.252 हैक्ट भूमि वादी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जबकि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि ख0न0 51 की भूमि भूप्रबन्धक विभाग द्वारा गलत तौर से गै0मु0 दर्ज की गई है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि गै0मु0, भूप्रबन्धक विभाग द्वारा दर्ज की गई है पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि सही तौर से गै0मु0 दर्ज हुई है वादी गै0मु0 भूमि बाबत अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः गै0मु0 भूमि को मुमकिन/ खातेदारी दर्ज किया जाना उचित नही है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 932 / 2022
अनवान : –

1. डुंगरराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. सरस्वती 2. नानो 3. सज्जना पि. मोमनराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
4. महावीर 5. ओमप्रकाश 6. सन्तलाल 7. सरजीत 8. राजबाला पि. हरकोरी पत्नि मामराज जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर
9. भंवरी देवी पत्नि सन्तलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
10. रूकमादेवी पत्नि प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 932 सन 2022 निर्णय दिनांक 02/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर